न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 35/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/56

अपीलान्ट	बनाम	प्रत्यार्थीगण
शंकर सिंह पुत्र जय सिंह जाति राजपुत, निवासी जांखली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचमान।		1. विलम कवंर पत्नी मालसिंह पुत्री स्व. हजारी सिंह निवासी बावडी, तहसील श्रीमाधोपुर 2. जयसिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह जाति राजपुत 3. मालसिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह जाति राजपुत 4. गिरवरसिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह जाति राजपुत 5. कमल कवंर पत्नी दयाल सिंह पुत्री स्व. हजारी सिंह जाति राजपुत निवासीनीः– मोलायसी तहसील धौंद जिला सीकर (राज.) 6. भवानी सिंह पुत्र जयसिंह 7. दलपत सिंह पुत्र जयसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण जाखली, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचमान। 8. तहसीलदार मकराना, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ वकील अपीलांट की ओर से।
2. श्री मुस्ताक खां वकील प्रत्यार्थीगण संख्या 03 व 04 की ओर से।

अपील विरूद्ध म्युटेशन संख्या 273 दिनांक 27.01.2013 वाके सरहद जांखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि के सम्बन्ध में पारित फौतगी नामान्तरण, न्यायालय तहसीलदार मकराना।

–:निर्णयः–

दिनांक– 28.10.2024

अपीलार्थी की अपील के संक्षिप्त व तथ्य इस प्रकार है कि वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) स्व. हजारी सिंह से सम्बंधित है। स्व. हजारी सिंह की संतानें प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 05 तक है तथा अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 स्व. हजारी सिंह के पौत्रगण है। स्व. हजारी सिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 06.02.1979 को वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि को लिखमाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट बराला, निवासी जाखली तहसील मकराना से जारिये बैचाणनामा खरीद की थी। उक्त बैचाणनामा के आधार पर उक्त खैतायों में स्व. हजारी सिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.07.2011 को हो चुका है। स्व. हजारी सिंह के स्वर्गवास के बाद वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि में स्व. हजारी सिंह के सम्बन्ध में फौतगी नामांतरण दिनांक 27.01.2013 को प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 05 तक के नाम से दर्ज किया गया, जो कि गलत रूप से दर्ज हुआ है। अपीलांट की ओर से उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाने की अपील श्रीमान के समक्ष निम्न आधारों पर पेश हैः–

अपील के आधार

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि का नामान्तरण दर्ज करने में न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः उक्त नामान्तरण अधीन अपील अपास्त होकर अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 के नाम उक्त भूमि में दर्ज किए जाने योग्य है।
2. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि का नामन्तरण दर्ज करने में घौर वैधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है अतः उक्त नामान्तरण अधीन अपील अपास्त होकर अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 के नाम उक्त भूमि में दर्ज किए जाने योग्य है।
3. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि नामान्तरण दर्ज का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचन ना करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

हुये पारित किया है। अतः उक्त नामान्तरण अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य है।

4. स्व. हजारी सिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.11.2001 को उक्त खैतायों को बखशीशनामा के जरियें अपने पौत्रगण अपीलांट शंकरसिंह व प्रत्यर्थीगण संख्या 06 भवानी सिंह व प्रत्यर्थी संख्या 07 दलपत सिंह को दे दिया था। उक्त बख्शीशनामा दिनांक 23.11.2001 को तहसील कार्यालय मकराना में पंजीबद्ध हुआ था। जिसकी प्रति श्रीमान के समक्ष अवलोकनार्थ पेश है। उक्त बख्शीशनामा के आधार पर खैतायों में स्व. हजारी सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांट व प्रत्यर्थीगण संख्या 06 व 07 का नाम दर्ज होने योग्य है। इसलिए अधीन अपील उक्त खैतायों की खातेदारी में से प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 05 तक का नाम हटाया जाने योग्य हैं।

5. स्व. हजारी सिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 06.02.1979 को वाकै सरहद जाखली के काकड में स्थित खेत खसरा नम्बर 55 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/2 रकबा 1.0117 हैक्टेयर), खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 13 बिस्वा (वर्तमान खेत खसरा नम्बर 55/1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर गै.मु.) भूमि को लिखमाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट बराला, निवासी जाखली तहसील मकराना से जरिये बैचाणनामा खरीद की थी। उक्त बैचाणनामा के आधार पर उक्त खैतायों में स्व. हजारी सिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ था। उन खैतायों की भूमि को बख्शीश करने का हक व अधिकार स्व. हजारी सिंह को प्राप्त था। अतः उक्त बख्शीशनामा के आधार पर उक्त खेतों की खातेदारी में से प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 तक का नाम हटाया जाकर के अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 का नाम दर्ज होने योग्य है।

6. जैर अपील खैतायों की भूमि पर अपीलांट व प्रत्यर्थीगण संख्या 06 व 07 काबिज चले आ रहे हैं। उक्त नामान्तरण मौके की स्थिति के विपरित पारित किया गया है। अपीलांट व प्रत्यर्थीगण संख्या 06 व 07 सदैव इस विश्वास में रहे कि उन खैतायों की भूमि में उनका नाम दर्ज हो गया होगा किंतु हाल के समय में दिनांक 04.05.2024 को उक्त खैतायों की खतौनी की नकलें प्राप्त करने पर अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी हुई हैं कि उक्त खैतायों में उसका व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 का नाम दर्ज ना होकर के प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 तक व इनके प्रतिनिधियों को इस बाबत बताया तो उनके मन में लालच आ जाने से उनके द्वारा उक्त नामान्तरण दुरूस्त नहीं करवाने का कहने से यह अपील श्रीमान के समक्ष जानकारी से अब पेश हैं।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर निवेदन है कि अपील बहक अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 विरूद्ध अन्य प्रत्यर्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय के आलौ[illegible] नामान्तरण को अपास्त फरमाया जाने के आदेश सा[illegible] [illegible]री में अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 06 व 07 [illegible] आदेश सादर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अपील दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी सख्या 01 व 05 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रत्यर्थी संख्या 02, 06, 07 की तरफ से वकील श्री प्रीतम सिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी सं0 03 व 04 की तरफ से वकील श्री मुस्ताक खां ने वकालतनाम पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट स्व0 हजारीसिंह के वारिसान है। स्व0 हजारीसिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.11.2001 को उक्त खेताय को बखशीशनामा के जरिये अपने पौत्रगण अपीलांट शंकरसिंह व प्रत्यर्थीगण सं0 06 भवानीसिंह व प्रत्यर्थी सं0 07 दलपतसिंह को दे दिया था। उक्त बखशीशनामा दिनांक 23.11.2001 को तहसील कार्यालय मकराना में पंजीबद्ध हुआ था। उक्त बखशीशनामा के आधार पर उक्त खेताय में स्व0 हजारीसिंह के स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट व प्रत्यर्थीगण सं0 06 व 07 का नाम दर्ज होना चाहिए। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य फौतगी नामान्रण को अपास्त फरमाया जावें।

वकील प्रत्यर्थी सं0 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त नामान्तरण अभियान के दौरान तहसीलदार मकराना द्वारा मजमें आम में दिनांक 29.01.2013 को स्वीकृत किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी अपीलांट को थी। उसके बावजुद भी लगभग 10 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर भी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बखशीशनामा 2001 में हुआ तथा बखशीशनामा 2001 में हुआ उस समय नामान्तरकरण की कार्यवाही क्यों नही हुई अपीलांट ने स्पष्ट नहीं किया। स्व0 हजारीसिंह की मृत्यू दिनांक 01.07.2011 में हुई तथा नमान्तरकरण की कार्यवाही दिनांक 29.01.2013 को हुई तब भी अपीलांट ने बखशीशनामा नहीं पेश किया। अपील इतने लम्बे समय बाद पेश की है अपील देरी से पेश करने का स्पष्ट कारण भी अपीलांट ने स्पष्ट नहीं बताया।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **28.10.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

(पुखराज सेन IAS)
जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested